

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (मुख्यालय) उदयपुर

—:कार्यालय आदेश:-

श्रीमान निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर के पत्रांक शिविरा-मा/संस्था/एफ-1/12102(203)/सी.भ./पीटीआई/2021-22 दिनांक 02.09.2023 एवं 04.10.2023 के द्वारा जारी दिशा-निर्देशानुसार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित **शारीरिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा-2022** के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को उदयपुर जिला आवंटन कर नियुक्ति एवं पदस्थापन हेतु इस कार्यालय को आवंटित किये जाने के फलस्वरूप कार्यालय स्तर पर **शारीरिक शिक्षा अध्यापक (शारीरिक शिक्षक ग्रेड III)** के पद पर नियुक्ति हेतु दिनांक 23.06.23 को आयोजित परामर्श शिविर (Counseling) में निम्नांकित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत विकल्प पत्र के आधार पर **शारीरिक शिक्षा अध्यापक (शारीरिक शिक्षक ग्रेड III)** के पद पर इनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालयों में रिक्त पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 के अनुसार वेतन लेवल-10 में प्रोवेशनर ट्रेनी (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोवेशन पर राज्य सरकार के नियमानुसार मासिक नियत पारिश्रमिक 23700/-रु. (तेइस हजार सात सौ रुपये मात्र) प्रतिमाह (पूर्व से सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन) पर नियुक्ति प्रदान की जाती है :-

सम्बन्धित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से संपादित करेंगे:-

01. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोवेशनर ट्रेनी) की अवधि में मासिक नियत पारिश्रमिक के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, महंगाई वेतन (डीपी) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होंगे।
02. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोवेशनर ट्रेनी) की अवधि में राज्य बीमा की कटौती नहीं होगी।
03. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोवेशनर ट्रेनी) की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जावेगा।
04. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कलेण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का आकस्मिक अवकाश वित्त विभाग के आदेश क्रमांक-एफ-12(9)एफ.डी.(रुल्स)2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार देय होगा।
05. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोवेशनर ट्रेनी) की अवधि में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कटौतियों की जावेंगी।
06. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी से सम्बन्धित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी प्रदत्त चरित्र सम्बन्धी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जावे। इसके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
07. किसी अभ्यर्थी की पुलिस सत्यापन रिपोर्ट सही नहीं पाये जाने/के बिना कार्यग्रहण करवाया जाता है तो सम्बन्धित संस्था प्रधान के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी।
08. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-7(1)डीओपी/ए-11/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने संबंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र 50/- रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्राप्त किया जावे।
09. कार्यग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी से उनकी पात्रता, आयु एवं आरक्षण सम्बन्धी समस्त दस्तावेजों की जांच आवश्यक रूप से कर ली जावे।
10. विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने संबंधी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है, तो तत्संबंधी आशय का 50/-रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया जावे।
11. आवेदक द्वारा दहेज नहीं लिये जाने का स्व-घोषणा पत्र प्राप्त किया जावे।
12. **आपके स्तर पर यह भी जॉच आवश्यक रूप से कर ली जाये कि:-**
(1) आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS) में चयनित अभ्यर्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी स्तर से प्रमाण पत्र नियमानुसार एवं निर्धारित प्रपत्र में राज्य सरकार के परिपत्र प.7/1/DOP/A-II/2019 दिनांक 20.10.2019 के अन्तर्गत जारी किया होना चाहिये।
(2) अन्य पिछड़ा वर्ग में चयनित अभ्यर्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी स्तर से जाति प्रमाण पत्र नियमानुसार एवं निर्धारित प्रपत्र में जारी किया होना चाहिये एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि "अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है, अर्थात् अनुसूची में वर्णित व्यक्ति कीमिलेयर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिये।" यदि कोई अभ्यर्थी कीमिलेयर की श्रेणी में आता है तो उसके सम्बन्ध में पूर्ण टिप्पणी सहित उनका आवेदन पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भिजवाये।
(3) अन्य पिछड़ा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिए। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति का नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, परन्तु अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात का बना हुआ प्रस्तुत करें तो ही मान्य होगा। ऐसा नहीं करने पर आवेदन पत्र इस कार्यालय को वापिस लौटा दें। उपरोक्तानुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र की सुनिश्चितता आप अपने स्तर पर करने के उपरान्त ही अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को कार्यग्रहण सम्बन्धी कार्यवाही करें। यदि कोई अभ्यर्थी कीमिलेयर की श्रेणी में आता है तो अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके सम्बन्ध में पूर्ण टिप्पणी सहित आवेदन पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भिजवाये।
13. कार्यग्रहण कराने से पूर्व आवेदन पत्र के साथ रालग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से सही पाये जाने पर ही कार्यग्रहण करावे। मिलान में यदि कोई भिन्नता की स्थिति पाये जावे तो कार्यवाही करवाई जावे तथा उसके सम्बन्ध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को अविलम्ब सूचना भिजवाये।

14. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से 50/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर यह शपथ पत्र प्राप्त किया जावे कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएँ एवं दस्तावेज सही हैं, इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटस्थित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।
15. नियुक्ति पर कार्यग्रहण से पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी से इनके द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक योग्यता व अन्य आवश्यक दस्तावेज/प्रमाण पत्रों के सम्बन्ध में 50/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त कर लेवे कि यदि उनके द्वारा अर्जित शैक्षणिक योग्यता व अन्य आवश्यक दस्तावेज/प्रमाण-पत्र वैध व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने सम्बन्धी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में तत्काल नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी तथा नियमानुसार कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
16. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक: प.7(3)कार्मिक /क-2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान/मद्यपान एवं गुटरखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनद्धाता (Undertaking) निर्धारित प्रारूप में प्राप्त की जावे।
17. सम्बन्धित अभ्यर्थियों से कार्यग्रहण से पूर्व दो राजपत्रित अधिकारियों के चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिये जावे।
18. अभ्यर्थी के नाम/उपनाम/विवाह सम्बन्धी शपथ पत्र/विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र एवं दो से अधिक संतान नहीं होने का शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 24.02.2011 एवं दिनांक 20.11.15 की अनुपालना में पूर्ति करावे। गर्भवती महिला अभ्यर्थियों के लिये कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 16.08.2005 का अनुसरण किया जावे।
19. सम्बन्धित संस्था प्रधान अभ्यर्थियों की सेवा पुरितका तैयार कराते समय 10वीं परीक्षा की अंकतालिका के आधार पर नाम, पिता का नाम एवं जन्मतिथि आदि अंकित करें।
20. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.7(13) कार्मिक/क-2/23 जयपुर दिनांक 11.05.2023 के अनुसार निम्न आशय का शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
मैं..... शपथ लेता हूँ/लेती हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ कि भारत और विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और सच्ची निष्ठा रखूंगा/रखूंगी, मैं भारत की प्रभूता और अखण्डता अक्षेण रखूंगा/रखूंगी तथा मैं अपने पद के कर्तव्यों का राजभक्ति, ईमानदारी एवं निष्पक्षता से पालना करूंगा/करूंगी। (अतः ईश्वर मेरी सहायता करें)।
21. चयनित अभ्यर्थी की सूची में अभ्यर्थी के वर्ग इत्यादि में अन्तर पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को कार्यग्रहण ना करवाया जाकर उसका आवेदन पत्र इस कार्यालय को भिजवावे।
22. कार्यग्रहण से पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी का मूल आवेदन पत्र/नियुक्ति पत्र पर चस्पा छाया चित्र (फोटो) से मिलान कर यह सुनिश्चितता कर ली जावे कि वही अभ्यर्थी कार्यग्रहण करे, जिसका आवेदन पत्र/नियुक्ति पत्र पर छाया चित्र (फोटो) चस्पा है।

इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक 27.10.2023 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा, उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। संबंधित संस्था प्रधान इन्हें शाला दर्पण के माध्यम से कार्यग्रहण करवाया जाना सुनिश्चित करें तथा इनके कार्यग्रहण की सूचना तत्काल इस कार्यालय को भिजवाने की व्यवस्था करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार पदस्थापन सूची।

जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक उदयपुर

दिनांक : 05.09.2023

क्रमांक :- जिशिअ/मुख्या/माध्य/उदय/फा-07/2023/830-831

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
2. श्रीमान शासन उपसचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. श्रीमान शासन उपसचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
4. श्रीमान सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर
5. श्रीमान विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर
6. श्रीमान निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
7. श्रीमान मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी उदयपुर।
8. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ,.....
9. संबंधित संस्था प्रधान.....
10. संबंधित अभ्यर्थी.....(रजिस्टर्ड डाक से)
11. निजी/गार्ड पत्रावली

Signature valid

Digitally signed by Asha Mandawat
Designation: District Education
Officer
Date: 2023.10.05 10:22:42 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4855436



कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय उदयपुर

क्रमांक: :- जिशिअ/मुख्या/माध्य/उदय/फा-शा.शि.अध्यापक/2023/830

दिनांक : 05.10.2023

शारीरिक शिक्षा अध्यापक (शा.शि. ग्रेड III) (NON- TSP)

Sr. No.	PHOTO	MERIT NO.	EMPLOYEE NAME/FATHER & ADDRESS	DOB	CATE	SEL CATE	School Name
1		2613	MANDEEP KAUR BATTH /JASVEER SINGH BATTH, ADDRESS-215 OLD CHUNGI CHAUKI GAJNER ROAD BIKANER District BIKANER	22-Aug-99	OBC	GEN	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL MORWANIA (416219)(08260207001),BADGAON,UDAIPUR

जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक उदयपुर

Signature valid

Digitally signed by Asha Mandawat
Designation: District Education
Officer
Date: 2023.10.05 20:22:42 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4855436



कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय उदयपुर

क्रमांक: :- जिशिअ/मुख्या/माध्य/उदय/फा-शा.शि.अध्यापक/2023/831

दिनांक : 05.10.2023

शारीरिक शिक्षा अध्यापक (शा.शि. ग्रेड III)
(TSP)

Sr. No.	PHOTO	MERIT NO.	EMPLOYEE NAME/FATHER & ADDRESS	DOB	CATE	SEL CATE	School Name
1		1929	JATIN CHATURVEDI /RAMESH CHANDRA CHATURVEDI, ADDRESS- V.P.O.- DAYALI, T.H. SARADA, DIST. UDAIPUR(RAJ.) - District UDAIPUR	16-Nov-97	GEN	GEN	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SHYAMPURA JHA (223488)(08260909202), JAISAMAND, UDAIPUR

जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक उदयपुर

Signature valid

Digitally signed by Asha Mandawat
Designation: District Education Officer
Date: 2023.10.05 10:22:42 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4855436

